

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०

7वां तल पी.सी.एफ. भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Ph. No.: 0522-2630877, Fax No.:0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 65 /सो.आ.नि.-259 /2016

दिनांक: 05 मई, 2017

प्रेषक,

निदेशक,

सोशल आडिट, उ०प्र०,

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,

भारतीय स्टेट बैंक,

अशोक मार्ग, लखनऊ।

विषय: बचत खाता सं० 33334969131 से जिला विकास अधिकारियों के जनपद में खुले खाते में धनराशि हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि निम्नलिखित जिला विकास अधिकारी, आजमगढ़ को उनके जनपद में कार्यरत ब्लाक सोशल आडिट कोऑर्डिनेटर्स के भिन्न विकास खण्ड में आडिट करने हेतु दैनिक शुल्क एवं यात्रा शुल्क की धनराशि भारतीय स्टेट बैंक में "जिला विकास अधिकारी, सोशल आडिट" के नाम खुले खाते में निम्नांकित धनराशि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत किया जाता है:-

क्रमांक	जनपद	खाता संख्या	शाखा तथा ब्रान्च कोड सं०	आई.एफ.एस.सी. कोड	(धनराशि रुपये में) E-Transfer द्वारा कॉलम 3 में बैंक खाता में हस्तान्तरित होना है
1	2	3	4	5	6
1	आजमगढ़	33693476611	आजमगढ़ 00014	SBIN0000014	3,66,586
(रुपये तीन लाख छह हज़ार पांच सौ छियासी मात्र)				TOTAL	3,66,586

भवदीय

(कृष्ण गोपाल)

अपर निदेशक (वित्त)

(राजवर्धन)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या: 65 /सो.आ.नि.-259 /2016, तददिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- जिलाधिकारी, आजमगढ़।
- जिला विकास अधिकारी, आजमगढ़ के पत्र सं० 4529/सो०आ०/2016-17 दिनांक 31.03.2017 के मांग पत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की धनराशि आवंटित की जा रही है। उक्तवत् धनराशि भिन्न विकास खण्डों में किये गये सोशल आडिट हेतु दैनिक शुल्क एवं यात्रा शुल्क की प्रतिपूर्ति की धनराशि अपने जनपद में कार्यरत ब्लाक सोशल आडिट कोऑर्डिनेटर्स विभिन्न तिथियों में किये गये आडिट से सम्बन्धित है। जिला विकास अधिकारी द्वारा उक्त मद में आवंटित धनराशि सीमा के अन्तर्गत भुगतान वित्तीय नियमों के अन्तर्गत अपने अभिलेखों के आधार पर करना सुनिश्चित करेंगे। यह मात्र आवंटन है वित्तीय स्वीकृति नहीं है। भुगतान से संबंधित सभी अभिलेख महालेखाकार/निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आडिट के लिए सुरक्षित रखे जाएं।

(कृष्ण गोपाल)

अपर निदेशक (वित्त)

de ① ✓